

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सं. 1/2019-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 72(अ).—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 32/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 13 अक्टूबर, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 1263(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, को विखंडित करती है।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग-II)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 32/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 13 अक्टूबर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 1263(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 23/2018-एकीकृत कर (दर), तारीख 6 अगस्त, 2018 द्वारा संशोधित की गई जो सं. सा.का.नि. 744(अ), तारीख 6 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATIONNew Delhi, the 29th January, 2019**No. 01/2019—Integrated Tax (Rate)**

G.S.R. 72(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 32/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 1263 (E), dated the 13th October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of February, 2019.

[F. No. 20/06/16/2018-GST (Pt. II)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No. 32/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 13th October, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1263(E), dated the 13th October, 2017 and was last amended vide notification No. 23/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 6th August, 2018, published vide number G.S.R. 744(E), dated the 6th August, 2018.